1266

1230 1280

पत्रांकः–BRRDA (HQ) MMGSY (W.B)-340/2015 Part-II- 4101

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पटना, दिनांकः– 24.8.15

संकल्प

विषयः मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में।

राज्य के 27 Non-IAP जिलों यथा अररिया, बाँका, भागलपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियाँ में 250 से अधिक आबादी वाले सभी अनजुडे बसावटों को वर्ष–2017-18 तक बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका–2.2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाह्य श्रोत से कराने का प्रावधान है।

3. दिनांक–20.11.2014 को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में संपन्न 44वें संविक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में विश्व बैंक से मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत IBRD वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ₹ 4300 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा प्रथम चरण में ₹ 2000 करोड (333 Million US $) की परियोजना के कार्यान्वयन की अनुशंसा की गयी, जिसके लिए विश्व बैंक से IBRD ऋण के रूप में 70% राशि, अर्थात ₹ 1400 करोड़, उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30% राशि यथा ₹ 600 करोड राज्य सरकार को अपने राज्य बजट से वहन करना होगा। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 5000 कि0 मी0 पथों (राशि ₹ 4300 करोड) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। प्रथम चरण की प्रगति के आधार

1/4

पर विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा।

3.1 उक्त बैठक में यह तथ्य भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया कि IBRD ऋण के Undisbursed Amount के लिए प्रति वर्ष 0.25% की दर से राज्य सरकार पर Commitment Charge भारित होगा।

3.2 5000 कि0 मी0 के ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए अनुमानित लागत ₹ 4300 करोड़ का विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता का अंश तथा राज्यांश का विवरण निम्न प्रकार है:–

Component	World Bank Share (in Crore)	State Share (in Crore)	Total (in Crore)
Civil Works	2890	1290	4180
Technical Assistance	110	10	120
Total	**3000**	**1300**	**4300**

3.3 प्रथम चरण में ₹ 2000 करोड़ की योजना के लिए विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता का अंश तथा राज्यांश का विवरण निम्न प्रकार है:–

Financial Year	Component	World Bank Share (in Crore)	State Share (in Crore)	Total (in Crore)
2015-16	(A) Civil Works	467	200	667
2016-17		878	395	1273
Sub Total (A)		**1345**	**595**	**1940**
2015-16	(B) Technical Assistance	15	–	15
2016-17		40	5	45
Sub Total (B)		**55**	**5**	**60**
Grand Total (A+B)		**1400**	**600**	**2000**

4. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलो/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

(i) विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता के लिए परियोजना के प्रथम चरण के लिए 10 जिलों यथा अररिया, बाँका, बक्सर, छपरा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार,

2/4

वैशाली, पटना एवं पूर्णिया का चयन किया गया। इन 10 जिलों में कुल 1051 पथों जिसकी अनुमानित लम्बाई 2453 कि0 मी0 है, का निर्माण किया जायगा।

(ii) परियोजना के द्वितीय चरण में शेष 17 Non-IAP जिलों यथा भागलपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, नालंदा, भोजपुर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, एवं किशनगंज में अवशेष 3000 कि0 मी0 लम्बाई के लिए पथों का निर्माण किया जायेगा।

(iii) बिहार सरकार द्वारा IBRD से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार तथा विश्व बैंक के बीच परियोजना एकरारनामा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—BRRDA (HQ) MMGSY (W.B)-340/2015 Part-II-4101 पटना, दिनांक—24.8.15

प्रतिलिपिः--अधीक्षक, राज्यकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—BRRDA (HQ) MMGSY (W.B)-340/2015 Part-II-4101 पटना, दिनांक—24.8.15

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

सरकार के सचिव

277 (247)

ज्ञापांकः–BRRDA (HQ) MMGSY (W.B)-340/2015 Part-II-4101 पटना, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव